उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 232वीं बैठक

दिनांक 26 मार्च, 2015 का कार्यवृत्त

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 232वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री सदाकान्त, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :–

1–	श्री सदाकान्त	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन,उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2–	प्रो0(डॉ0) सुरभि शुक्ला	उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3–	श्री सिद्धार्थ सिंह	उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
4–	श्री सुशील कुमार टिबड़ेवाल	उपाध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
5–	श्री शहाबुद्दीन मोहम्मद	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
6–	श्री रुद्र प्रताप सिंह	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	सचिव
7–	श्री रंजन मिश्र	वित्त नियंत्रक	सदस्य
8–	श्री आर.के.अग्रवाल	मुख्य अभियंता	सदस्य
9–	श्री आर.एन. मिश्र	प्रतिनिधि, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0	सदस्य
10–	सुश्री नीरजा कृष्णा	संयु. निदे.,प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव सार्व. उद्यम विभाग	सदस्य
11–	श्री एस.के.सिंह	अनु सचिव, प्रतिनिधि सचिव, नगर विकास	सदस्य
12–	श्री सुभाष चन्द्र	अनु सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
13–	सुश्री सीमा सिंह	अपर सचिव,उपाध्यक्ष, लख.वि. प्राधिकरण, लखनऊ	आमंत्री सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मण्डल तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये :–

विषय सूची

मद सं0	विषय	निर्णय
232/1	परिषद की 231 वीं बैठक दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की 231वीं बैठक दिनांक 09.12.14 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
232/2	परिषद की 231 वीं बैठक दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 की अनुपालन आख्या।	परिषद की 231वीं बैठक दिनांक–09.12.14 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

विधि अनुभाग

232/3	मा0 उच्चतम न्यायालय के परिषद अधिवक्तागण को देय फीस के पुर्ननिर्धारण के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुशासनिक अनुभाग

232/4	श्री ओ0पी0 त्रिवेदी, सहायक अभियन्ता का आदेश संख्या–136/अनुशा0–63/2010 (2431) दिनांक 17.05.2012 द्वारा दिये गये दण्ड को समाप्त करने के संबंध में प्रस्तुत अपील दिनांक 04.12.2014 पर विचार किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त आदेश दिनांक 17.05.12 द्वारा प्रदत्त दण्ड को 'चेतावनी' में परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिया गया।

232/5	श्री के0एन0 मिश्रा, अवर अभियन्ता का आदेश संख्या–935/अनुशा0–43/2007 (1878) दिनांक 02.02.2008 द्वारा दिये गये दण्ड को समाप्त करने के संबंध में प्रस्तुत अपील दिनांक 29.10.2014 पर विचार किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त आदेश दिनांक 02.02.08 द्वारा प्रदत्त दण्ड को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रशासन अनुभाग

232/6	कार्यप्रभारित संज्ञा समाप्त कर नियमित फील्ड कर्मचारी की संज्ञा दिये जाने के संबंध में।	प्रश्नगत प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त अन्य विभागो की कार्यवाही का अध्ययन करने एवं अपनी संस्तुति आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु निम्नांकित समिति के गठन का निर्णय लिया गया : 1. अपर आवास आयुक्त 2. वित्त नियंत्रक 3. संयुक्त निदेशक, सार्व.उद्यम विभाग
232/7	सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति हेतु अनिवार्य दो वर्ष के "नान फील्ड जाब" की अवधि को शिथिल किए जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
232/8	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में वास्तुकला इकाईयों के सृजन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव के अनुसार 4 इकाईयों के स्थान पर दो वास्तुकला एवं नियोजन ईकाइयों के गठन एवं स्टाफ की तैनाती का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
232/9	नियमित कार्यप्रभारित कर्मचारियों की परिषद सेवाकाल में मृत्यु उपरान्त उनके आश्रित सदस्य को क्षतिपूर्ति के आधार पर परिषद में सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
232/10	दिनांक 01.07.2014 से मंहगाई भत्ता, पुनरीक्षित दर से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
232/11	सहायक विधि अधिकारी/सम्पत्ति निरीक्षक की सेवा विनियमावली निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त आवास आयुक्त एक समिति गठित कर विधिक एवं तकनीकी आधार पर परीक्षण कराकर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
232/12	परिषद में मुख्य अभियन्ता के रिक्त पद पर प्रोन्नति की कार्यवाही के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
232/13	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के रिक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
232/14	संगणक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा भरे जाने के सम्बन्ध में।	संयुक्त निदेशक, सार्वजनिक उद्यम द्वारा संज्ञान में लाया गया कि समूह ग की सीधी भर्ती का शासनादेश निर्गत किया

		जा चुका है, तदनुसार प्रस्ताव विड्रा किये जाने का निर्णय लिया गया।
232/15	मा0 परिषद की 231वीं बैठक के अनुपालन में दैनिक वेतन/मस्टररोल वाहन चालकों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त मानवीय आधार पर प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
232/16	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स सर्विस रेगुलेशन्स–1973 (यथासंशोधित) के भाग–3 के विनियम–5 में संशोधन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
232/17	विकलांग वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण दिनांक 01 नवम्बर, 2014 से लागू किये जाने के संबंध में।	अक्षम (विकलांग) कर्मचारियों को अनुमन्य वाहन भत्ते की पुनरीक्षित दरों के शासनादेश संख्या 1326/65–1–1–2014 –380/96 दिनांक 13.11.2014 को सम्यक विचारोपरान्त अंगीकार किये जाने का निर्णय लिया गया।

अभियंत्रण अनुभाग

232/18	योजना सं0–1, मैनपुरी के सेक्टर–4, 5 व 6 की सड़कों, जलापूर्ति, पार्कों एवं नालियों एवं पुलियों व अन्य समस्त सेवाओं के हस्तान्तरण हेतु रु0 40.00 लाख की धनराशि नगर पालिका परिषद मैनपुरी को निर्गत करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
232/19	उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद को परिषद की मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद में अपर जलाशय के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
232/20	गाजियाबाद नगर में मेट्रो रेल परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत दिलशाद गार्डेन, नई दिल्ली से नया बस अड्डा गाजियाबाद कारीडोर (लम्बाई 9.71 किमी0 7 स्टेशन) के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित परिषद अंश के भुगतान के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त, पूर्व में निर्गत अवस्थापना निधि के अंश के समायोजित किये जाने तथा भविष्य की मांग को अवस्थापना निधि से समानुपातिक अंश का ही भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।
232/21	जागृति विहार (विस्तार) मेरठ को सुदृढ़ विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाये जाने के लिये प्रस्तावित 220 के0वी0 सबस्टेशन के निर्माण हेतु लगभग 10 एकड़ भूमि उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि0 मेरठ को निःशुल्क हस्तगत करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

232/22	समाजवादी आवास योजना एवं स्व–वित्त पोषित योजना–2015 के अन्तर्गत लखनऊ स्थित परिषद योजनाओं में प्रस्तावित बहुमंजिले अफोंडेबुल आवासीय भवनों के पंजीकरण खोले जाने हेतु प्रस्तावित विक्रय मूल्य में भूमि दर 1.50 गुना के स्थान पर सामान्य आवासीय भूमि दर लिये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत योजना में प्रस्तावित विकयमूल्य में भूमि दर डेढ़ गुना के स्थान पर सामान्य आवासीय भूमि दर लिये जाने के प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
232/23	लखनऊ मैट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु परिषद द्वारा रु0 200.00 करोड़ की धनराशि इक्विटी के रूप में उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद एलएमआरसी में सहभागिता हेतु सदस्य बनाये जाने का प्रस्ताव भेजें।
232/24	सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर–7 में गंगा, यमुना एवं हिन्डन अपार्टमेन्ट के अन्तर्गत निर्माणाधीन विभिन्न श्रेणी के 1292 नग बहुमंजिले फ्लैक्टस के निर्माण हेतु अतिरिक्त/अवशेष कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर–7 में गंगा, यमुना एवं हिन्डन अपार्टमेन्ट के अन्तर्गत निर्माणाधीन 1292 नग विभिन्न श्रेणी बहुमंजिले फ्लैटस के निर्माण हेतु अतिरिक्त/अवशेष कार्य की लागत रु0 7485.28 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।
232/25	सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद हेतु 12.50 क्यूसैक जलापूर्ति के सम्बध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद हेतु 12.5 क्यूसैक जलापूर्ति हेतु नगर निगम की भूमि पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रस्तावित परियोजना के लिये जल निगम को प्रोरेटा बेसिस पर रू0 50.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।
232/26	मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद के लोकप्रियता के दृष्टिगत मैसर्स आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रेक्टर के द्वारा एक Iconic Building के निर्माण के प्रस्ताव की सैद्धान्तिक सहमति के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त Iconic Building के बनाये जाने के प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित किया गया तथा उक्त बिल्डिंग किसी ऐसे उपयुक्त स्थान पर, जहां आकर्षण का केन्द्र बन सकें, वहां पर निर्मित किये जाने के प्रस्ताव की प्रस्तुतिकरण आगामी बैठक में किये जाने का निर्णय लिया गया।
232/27	परिषद योजनाओं में पार्को/ग्रीनबेल्ट के समुचित विकास/रखरखाव को स्थानीय निकाय को हस्तानान्तरण तक निजी संस्थाओं/जन सहभागिता के माध्यम से कराने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव परीक्षण कर आगामी बैठक में रखें जाने का निर्णय लिया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

232/28	मा0 निदेशक मण्डल की 228वीं बैठक दिनांक 18.06.2014 के मद संख्या–228	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	/6 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में वृन्दावन योजना लखनऊ में हितवद्ध काश्तकारों को 5 प्रतिशत भूमि दिये जाने हेतु समयावधि बढ़ाये जाने के संबंध में।	
232/29	परिषद की दमदमा कोठी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-5 (जिगर विहार) मुरादाबाद के अन्तर्गत खसरा संख्या-368 की भूमि के सम्बन्ध में।	प्रश्नगत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया कि शासन द्वारा स्वामित्व के सम्बंध में जो निर्णय लिये गये है, उसे संज्ञान में लिया गया। प्रश्नगत भूमि पर शुल्क की देयता क्या होगी, किस प्रकार से भुगतान लिया जायेगा, इस हेतु आवास आयुक्त एक समिति का गठन करेंगे जिसमें वित्त, तकनीकी वर्ग के अधिकारी सदस्य होंगे, समिति अपनी संस्तुति आवास आयुक्त को प्रस्तुत करेगी, परीक्षण के उपरान्त आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। उक्त समिति विकास शुल्क/नगर विकास अधिकार सम्बंधी शासनादेश दिनांक 17.11.14 का भी परीक्षण कर उसके कियान्वयन हेतु प्रस्ताव आगामी बैठक में रखे जाने का भी निर्णय लिया गया।
232/30	जनपद हरदोई में यू0पी0 शुगर केन डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की हरदोई स्थित शुगर फैक्ट्री की रिक्त भूमि को क्रय करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
232/31	जनपद गोण्डा में गोण्डा-फैजाबाद मार्ग पर जिला सहकारी विकास संघ लि0 गोण्डा की भूमि पर आवासीय योजना संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
232/32	तहसील बदलापुर जनपद जौनपुर क्षेत्र में परिषद योजना संचालित किये जाने के सम्बन्ध मे।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
232/33	परिषद की दिल्ली रोड़ भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-8 सहारनपुर में समाविष्ट ग्राम-मवींकला के अन्तर्गत खसरा संख्या-277/1, 277/2, 278/1 व 278/2 कुल क्षेत्रफल 2.932 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव स्थगित किया गया।

सम्पत्ति प्रबंध अनुभाग

232/34	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद के शिखर एन्कलेव में स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत फ्लैट आवंटित करने के संबंध में।	सम्यक् विचारोपरान्त वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद के शिखर एन्कलेव में स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत अवशेष सम्पत्ति का पंजीकरण एक सप्ताह के लिए जन-सामान्य हेतु खोले जाने का निर्णय लिया गया।

232/35	परिषद की अनिस्तारित अवशेष दुकानों/कियॉस्कों के निस्तारण के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव का पुनर्परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
232/36	परिषद की एन0सी0आर0 एवं लखनऊ परिक्षेत्र में नीलामी से निस्तारित की जाने वाली सम्पत्तियों यथा व्यावसायिक भूखण्ड, ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड, मल्टीप्लैक्स भूखण्ड, कन्वीनियन्ट शापिंग भूखण्ड, बैंकेट हॉल भूखण्ड, सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड, पेट्रोल/डीजल पम्प भूखण्ड, नर्सिंग होम भूखण्ड को टू–बिड सिस्टम के आधार पर निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
232/37	सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद के सेक्टर–3 में स्थित स्कूल भूखण्ड संख्या–3/एस0सी0एच0–02 क्षेत्रफल 16200.00 वर्गमीटर के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव नियमानुसार कटौती सहित कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

232/38	ट्रांसयमुना फेज–2 आगरा के सेक्टर–एफ0 में स्थित आवासीय भवन सं0 एफ0–3 को नर्सिंग होम में अनुमन्य करने के संबंध में।	शासनादेश में वर्णित प्राविधानों के अनुरूप सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
232/39	उ0प्र0 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में शासन द्वारा किये गये संशोधन को परिषद द्वारा संचालित योजनाओं हेतु अंगीकृत किये जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
232/40	मैसर्स ओमनी फार्म्स प्रा0 लि0, लखनऊ के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0–9डी/जी0एच0–1 वृन्दावन योजना, लखनऊ में बेसिक एफ0ए0आर0 को क्रय योग्य एफ0ए0आर0 के रूप में अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी गणना–पत्र को शासनादेश सं0–3589/8–3–2011–11 विविध दिनांक 4–8–2011 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
232/41	इन्दिरानगर, लखनऊ में मुंशी पुलिया चौराहे के निकट स्थित खसरा संख्या–77, (इस्माइलगंज) के भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क निर्धारण के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।

लेखा अनुभाग

232/42	परिषद कार्मिकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दि0 23.09.2014 के अन्तर्गत पेंशनरी बेनीफिट्स के क्रियान्वयन के फलस्वरूप 9% की देयता के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

232/43	वित्तीय वर्ष–2014–15 के पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष–2015–16 के प्रस्तावित आय–व्ययक अनुमान हेतु टिप्पणी।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

पंजीकरण अनुभाग

232/44	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में मा0 न्यायमूर्ति, श्री राजीव शर्मा को आवंटित भूखण्ड संख्या–16ए/2037 क्षेत्रफल 179.80 वर्गमीटर के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त संसुगत नियमो के आलोक में पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में रखें जाने का निर्णय लिया गया।

एम0डी0सी0

232/45	वर्ष–2015 में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के स्थापना दिवस की 50वीं वर्षगांठ को गोल्डन जुबली वर्ष समारोह के रूप में आयोजित करने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

लखनऊ जोन

232/46	परिषद की वृन्दावन योजना स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या 9सी/277 को आवासीय भूखण्ड संख्या 11/52 से परिवर्तन किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पुनर्परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अभियंत्रण अनुभाग

232/47	मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद के सेक्टर–7 में 1856 नग बहुमंजिले भवनों के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।	सर्वसम्मति से मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद के सेक्टर–7 में 1856 नग बहुमंजिले भवनों के निर्माण कार्य की रू0 56999.47 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
232/48	समाजवादी आवास योजना अन्तर्गत जागृति विहार (विस्तार) में योजना सं0–11, मेरठ में प्रस्तावित अर्फोडेबुल (जी+3) आवासीय भवनों के पंजीकरण खोले जाने हेतु प्रस्तावित विक्रय मूल्य में भूमि दर 1.50 गुना के स्थान पर सामान्य आवासीय भूमि दर लिये जाने हेतु प्रस्ताव।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत योजना में प्रस्तावित विक्रयमूल्य में भूमि दर डेढ़ गुना के स्थान पर सामान्य आवासीय भूमि दर लिये जाने के प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
232/49	समाजवादी आवास योजना अन्तर्गत अवध विहार योजना लखनऊ के सेक्टर–7डी में प्रस्तावित विभिन्न श्रेणियों के 2344 नग एवं स्व–वित्त पोषित योजना–2015 के अन्तर्गत 480 नग कुल 2824 बहुमंजिलें फ्लैट्स के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त अवध विहार योजना लखनऊ के सेक्टर–7डी में समाजवादी आवास योजना अन्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न श्रेणियों के 2344 नग एवं स्व–वित्त पोषित योजना–2015 के अन्तर्गत 480 नग कुल 2824 बहुमंजिलें फ्लैट्स के निर्माण कार्य की रू0 482.62 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

232/50	समाजवादी आवास योजना अन्तर्गत अवध विहार योजना लखनऊ के सेक्टर–8 में प्रस्तावित विभिन्न श्रेणियों के 1968 नग एवं स्व–वित्त पोषित योजना–2015 के अन्तर्गत 336 नग कुल 2804 बहुमंजिलें फ्लैट्स के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त अवध विहार योजना लखनऊ के सेक्टर–8 में समाजवादी आवास योजना अन्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न श्रेणियों के 1968 नग एवं स्व–वित्त पोषित योजना–2015 के अन्तर्गत 336 नग कुल 2804 बहुमंजिलें फ्लैट्स के निर्माण कार्य की रू0 374.25 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।
232/51	वृन्दावन योजना संख्या–4, लखनऊ के सेक्टर–20 में प्रस्तावित समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत 2400 नग एवं स्व–वित्त पोषित योजना–2015 के अन्तर्गत 104 नग कुल 2504 नग बहुमंजिले फ्लैट्स के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।	सम्यक् विचारोपरान्त वृन्दावन योजना संख्या–4, लखनऊ के सेक्टर–20 में प्रस्तावित समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत 2400 नग एवं स्व–वित्त पोषित योजना–2015 के अन्तर्गत 104 नग कुल 2504 नग बहुमंजिले फ्लैट्स के निर्माण कार्य की 426.05 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

232/52	परिषद की वृन्दावन योजना व अवध विहार योजना, लखनऊ के महायोजना–2021 भू–उपयोग में आंशिक संशोधन करते हुए लखनऊ महायोजना–2031 में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

सम्पत्ति प्रबंध अनुभाग

232/53	पट्टागत भूमि के फ्रीहोल्ड एवं पुनर्विकास हेतु प्रक्रिया के निर्धारण के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
232/54	अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत "समाजवादी आवास योजना" के क्रियान्वयन हेतु स्व वित्त पोषित योजनान्तर्गत भवनों/फ्लैटों के मूल्य की भुगतान प्रक्रिया के सरलीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।	"समाजवादी आवास योजना" के क्रियान्वयन हेतु स्व वित्त पोषित योजनान्तर्गत भवनों/फ्लैटों के मूल्य की भुगतान प्रक्रिया के सरलीकरण किये जाने पर विचार किया गया तथा इसकी प्रकिया को अधिक सरल, ग्राह्य एवं पारदर्शी बनाये जाने पर पुनः परीक्षण कर प्रस्ताव आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

232/55	योजना संख्या 7 मेरठ में समाविष्ट खसरा संख्या 3947 से 3951 तक की भूमि रकबा 10–16–0 बीघा भूमि के सम्बंध में।	प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्तावित समझौते के आधार पर प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–4 के बिन्दु सं0–5 व 6 के अनुसार सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

232/56	इन्दिरानगर विस्तार योजना लखनऊ के अन्तर्गत स्थित ग्राम समीउद्दीनपुर के खसरा संख्या 427 के कुल भूमि 0–12–0 विस्वा भूमि पर निर्मित धारा–28 से पूर्व बने मकान, टयूबवैल, शिव मंदिर की भूमि का क्षेत्रफल 46.93 वर्गमीटर का वर्तमान दर का आसुधार शुल्क लेने एवं अवशेष 1518.00 वर्गमीटर भूमि को वर्तमान दर पर आवंटित किये जाने के संबंध में।	प्रश्नगत प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा अपर आवास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया जिसमें वित्त नियंत्रक, मुख्य अभियंता एवं मुख्य विधि परामर्शी सदस्य होगे, उक्त समिति सम्बंधित अधिशासी अभियंता से सुविचारित एवं सुसंगत प्रस्ताव प्राप्त कर के इस तरह के पारस्परिक समझौतो का अध्ययन, परीक्षण कर समाधान का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी, समिति अपनी संस्तुति आवास आयुक्त को प्रस्तुत करेगी तथा आवास आयुक्त प्रकरण का अध्ययन कर आगामी बोर्ड की बैठक के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगें जिससे 30–40 वर्षो से चली आ रही विवादित सम्पत्तियों का निस्तारण हो सकें। इस व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाय।
232/57	परिषद की सिकन्दरा योजना आगरा में समाविष्ट भारत नगर सहकारी आवास समिति लि0 आगरा की 36.73 एकड़ वर्षो से विवादित भूमि को वर्तमान दर का विकास शुल्क एवं परिषद की भूमि को वर्तमान दर लेकर समायोजित/आवंटित करने के संबंध में।	मद सं0 232/56 में लिये गये निर्णय के अनुसार आगामी बोर्ड बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
232/58	परिषद की घटवासन योजना (कमला नगर) आगरा में स्थित खसरा संख्या – 1245 की 1031.53 वर्गमी0 भूमि वर्तमान व्यवसायिक दर आवंटित करने के संबंध में।	मद सं0 232/56 में लिये गये निर्णय के अनुसार आगामी बोर्ड बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
232/59	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सिकन्दरा योजना आगरा के अन्तर्गत स्थित खसरा संख्या–727/1 मौजा–बोदला, तहसील–सदर, जनपद–आगरा पर बनी हुई आबादी लगभग 439.94 वर्ग मीटर के भूखण्ड को वर्तमान आवासीय दर पर श्री ज्योति प्रसाद के पक्ष में आवंटित करने के संबंध में।	मद सं0 232/56 में लिये गये निर्णय के अनुसार आगामी बोर्ड बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
232/60	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सिकन्दरा योजना आगरा के सेक्टर–9 में समाविष्ट ग्राम मौजा सिकन्दरा वाहिस्तावाद परगना व तहसील व जिला आगरा के खाता संख्या–48 गाटा संख्या 1148, 1149, 1150, 1151 का क्षेत्रफल 4683.00 वर्ग मीटर भूमि में से 2683.00 वर्ग मीटर वर्तमान दर पर आवंटित करने के संबंध में।	मद सं0 232/56 में लिये गये निर्णय के अनुसार आगामी बोर्ड बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

232/61	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सिकन्दरा योजना आगरा के सेक्टर–9 में समाविष्ट ग्राम मौजा सिकन्दरा वाहिस्तावाद परगना व तहसील व जिला आगरा के खाता संख्या–48 गाटा संख्या 1148, 1149, 1150, 1151 व 1153 का क्षेत्रफल 18670.00 वर्गमीटर भूमि में से 3000.00 वर्ग मीटर भूमि वर्तमान दर पर आवंटित करने के संबंध में।	मद सं0 232/56 में लिये गये निर्णय के अनुसार आगामी बोर्ड बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
232/62	परिषद की भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–3 झूँसी इलाहाबाद से संबंधित आराजी संख्या–172 कुल रकबा 1–11–0 बीघा ग्राम–झूँसी कोहना इलाहाबाद के विक्रय किये गये रकबा 455.10 वर्ग मीटर भूमि को श्री गंगा प्रसाद सिंह पुत्र स्व राम फकीर यादव निवासी ग्राम व पोस्ट देवली, जिला–इलाहाबाद के पक्ष में समायोजन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
232/63	जनपद कन्नौज में कानपुर फर्रूखाबाद जी0टी0 रोड पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–2 कन्नौज के धारा–28 के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

232/64	उ0प्र0 राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति 2014 के क्रम में नये विकास के क्रम में मिश्रित उपयोग तथा 'ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट' (टी0ओ0डी0) के लिए जोनिंग रेगुलेशन्स 'प्लानिंग नॉर्म्स' एवं भवन उपविधि के शासनादेश सं0 03/8–3–15–198 विविध/14 दिनांक 04, मार्च 2015 को परिषद में अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश सं0 03/8–3–15–198 विविध/14 दिनांक 04, मार्च 2015 को परिषद में अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
232/65	परिषद की यू0पी0आई0एल0 योजना, लखनऊ में सिटी माण्टेसरी स्कूल को आवंटित भूखण्ड के एफ0ए0आर0 के सम्बन्ध में।	प्रश्नगत प्रकरण विचारोपरान्त शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।

वाराणसी जोन

232/66	परिषद की भरतपुरी योजना, गोण्डा के दु0 आय वर्ग भ0सं0 1342 के ब्याज व अतिरिक्त ब्याज काफी व आर0सी0 वापस लिये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

232/67	कुर्सी रोड विस्तार योजना लखनऊ में समाविष्ट ग्राम–बटहा सबौली के खसरा संख्या–524 की भूमि को समायोजित	मद सं0 232/56 में लिये गये निर्णय के अनुसार आगामी बोर्ड बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

	किये जाने के सम्बन्ध में।	
232/68	परिषद की योजना सं0–1 कानपुर में समाविष्ट आराजी संख्या–68 के जुज भाग रकबा 500 वर्ग गज का आवेदक श्री गोविन्द लाल के पक्ष में आउट आफ कोर्ट समायोजन किये जाने के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणी।	मद सं0 232/56 में लिये गये निर्णय के अनुसार आगामी बोर्ड बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
232/69	वृन्दावन योजना संख्या–2 भाग–1 लखनऊ समाविष्ट ग्राम उतरठिया खसरा संख्या 424 के सम्बन्ध में।	मद सं0 232/56 में लिये गये निर्णय के अनुसार आगामी बोर्ड बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
232/70	परिषद की मंगल पाण्डेय नगर योजना संख्या–1 मेरठ में समाविष्ट भूमि कस्बा मेरठ खसरा संख्या–5718 के सम्बन्ध में।	मद सं0 232/56 में लिये गये निर्णय के अनुसार आगामी बोर्ड बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

प्रशासन अनुभाग

232/71	परिषद के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित वेतनसंरचना में 14 वर्ष पर अनुमन्य प्रथम प्रोन्नत वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 2000.00 एवं द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान के रूप में सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 2800 का उच्चीकरण के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अभियंत्रण अनुभाग

232/72	आम्रपाली योजना हरदोई रोड के सेक्टर एच–6 में प्रस्तावित समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों 1044 नग एवं स्व वित्त पोषित 216 नग कुल 1260 नग बहुमंजिलें भवनो की वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त आम्रपाली योजना हरदोई रोड के सेक्टर एच–6 में प्रस्तावित समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों 1044 नग एवं स्व वित्त पोषित 216 नग कुल 1260 नग बहुमंजिलें भवनों की रू0 255. 26 करोड़ की वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान किया गया।
232/73	परिषद की अहस्तान्तरित योजनाओं में विभिन्न प्राइवेट एजेंसीज द्वारा विज्ञापन पट लगाये जाने के सम्बंध में ।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव के पुनः परीक्षण का निर्णय लिया गया।

सम्पत्ति प्रबंध अनुभाग

232/74	परिषद की आम्रपाली योजना लखनऊ स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं0 ई–1/कॉम/1 के सम्बंध में	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव के पुनः परीक्षण का निर्णय लिया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

232/75	उ0प्र आवास विकास की सुल्तानपुर रोड योजना (अवध विहार) लखनऊ एवं मै0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 लखनऊ में विकसित की जा रही हाईटेक	प्रश्नगत प्रकरण पर विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव के प्रस्तर 4.1 के अनुसार डिनोटीफिकेशन का प्रस्ताव परिषद अधिनियम की धारा–49 के अन्तर्गत

	टाउनशिप के सम्बंध में	विधिक परामर्श के साथ शासन को संदर्भित किये जाने तथा शेष अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुरक्षण अनुभाग

232/76	परिषद परिसर में स्थित पुराने भवन निष्प्रयोज्य होने के फलस्वरूप उसके स्थान पर नया कार्यालय भवन निर्माण कराने के सम्बंध में ।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
232/77	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय। "परिषद् योजनाओं में स्थित विवादित भूमि" (भूमि अर्जन अनुभाग)	आवास एवं विकास परिषद् में भूमि से सम्बन्धित बहुत से विवाद काफी वर्षों से लम्बित चल रहे हैं। पुराने भू–अधिनियम के अंतर्गत बहुत सी प्रकियात्मक त्रुटि और विषयान्तर्गत कमी के कारण भी विवाद उत्पन्न हुए हैं। बहुत से प्रकरणों में वाद न्यायालयों में भी काफी वर्षों से लम्बित हैं। नये भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी आदेश के लागू होने के पश्चात् इसमें कठिनाई काफी बढ़ गई है। इन विवादों के कारण बहुत से किसानों और गरीब जनता परेशान रहती है। बहुत अधिक प्रकरण मा0 न्यायालय में भी चल रहे हैं, जिस पर अनावश्यक रूप से व्यय–भार आता है। किसानों की समस्याओं और उनके पक्ष को ध्यान में रखते हुए भी विवादों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना आवश्यक है। इस सम्बंध में जहॉ एक ओर विधिक रूप से कानूनी प्रकिया का पालन किया जाना आवश्यक है, वहीं मानवीय दृष्टिकोण से किसानों की समस्याओं पर भी ध्यान देते हुए व्यवहारिक पक्ष के आधार पर समझौते और समाधान का प्रयास होना चाहिए। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् एक प्रोफेशनल ऑर्गनाइजेशन है। अतः बहुत समय से लम्बित विवादों के कारण इसके विकास और योजनाओं पर कु–प्रभाव पड़ रहा है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति यह सुझाव दिया गया कि इस प्रकार के विवादित प्रकरणों में आपसी समझौते के आधार पर समाधान प्राप्त किया जाय। आवास विकास परिषद् के स्तर पर अपर आवास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाय, जिसमें वित्त नियंत्रक, मुख्य अभियंता तथा मुख्य विधि परामर्शी

		सदस्य होंगे। क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा ऐसे प्रकरणों में पहले समझौते की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। फील्ड स्तर पर (Regional Office स्तर पर) समझौते का आधार तथा अन्य बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव तैयार किया जायेगा। आवास विकास परिषद् के स्तर पर उपरोक्त उच्च स्तरीय समिति इसका परीक्षण करेगी और अपनी संस्तुति आवास आयुक्त को भेजेगी। अपर आवास आयुक्त एवं सचिव तथा आवास आयुक्त इसका परीक्षण करेंगें और सहमति की दशा में इस पर प्रशासनिक रूप से मत स्थिर करते हुए इसे बोर्ड की बैठक में रखा जायेगा। यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से होगी । सारे तथ्य इसमें रखे जायेगे। अतः भविष्य में इस प्रकार के विवादों के समाधान के लिए प्रयास किया जाय और मेरिट के आधार पर सुसंगत नियमों की दृष्टि से इसमें निर्णय कराया जाय।

अनुमोदित

01/4/2015

(सदाकान्त)
अध्यक्ष